# MM

### आयकर आयुक्त कार्यालय - I

केन्द्रीय राजस्व भवन गडकरी चौक, पुराना आगरा रोड, नाशिक शहर - ४२२ ००२

## पंजीकरण प्रमाणपत्र

दिनांक: 29/01/2010

(क्रमांक <u>70/93</u>)

प्रमांकूर सामाजिक संस्था, माबीक रोड 4. मां कुशपुता अपार्टमेन्ट, के. मे हना हायस्कू के बोनाबी, नासीक रेष्ठ (द्रस्ट / संस्था का नाम)

- २. यह पंजीकरण दिनांक <u>6104 2009</u> से प्रभावित करेगा।
- 3. पंजीकरण सं. ना. / (पी आर ओ) / 12 ए ए / 200 9 10 / 2<del>00</del> 7<u>0 / 93</u> है।
- थ. जैसा कि ट्रस्ट / संस्था द्वारा फार्म 10 (ए) में आवेदन पत्र विलंब से दाखिल किया है। पर्याप्त कारणों के अभाव में \_\_\_\_\_\_\_ माह / वर्ष के विलंब के लिए माफी नहीं दी जा सकती ।

Soner or Income like

८४/ \_ ( एव. एस. आचार्च ) आयकरआयुक्त ⊢ I नॉशिक

सं. ना. आ. आ. <u>- I / तकनीकी / 12 ए ए (1) / 2009-10 / 454</u>/

दिनांक: 29/01/2010

प्रतिलिपि प्रेषित:

अावेदक को उसके आवेदन पत्र दिनांक <u>07 07 2009</u> के संदर्भ में इस प्रमाणपत्र से ट्रस्ट को कोई भी दानदाता धारा 80 - जी के अंतर्गत छूट का हकदार नहीं होता है, उसके लिए धारा 80 - जी के अलग से दूसरा प्रमाणपत्र जरुरी है।

2) आयकर निर्धारण अधिकारी, स्<del>र्कल</del> / वॉर्ड (१) विश्वित को इस उद्देश्य हेतू जो रजिस्टर बनाया गया है, उसमें इस ट्रस्ट / संस्था का नाम नोट कर लिया जाए। इसकी कर योग्यता या अन्य किसी बात की जांच - पड़ताल की जाए एवं इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

3) आयकर संयुक्त आयुक्त रेंज / 1/2/3 नाशिक / धुले

आयकर अधिकारी आयकर अधिकारी

(मु.) तकनिकी

कृते आयकर आयुक्त - I , नाशिक.



### आयकर आयुक्त कार्यालय - I

केन्द्रीय राजस्व भवन गडकरी चौक, पुराना आगरा रोड, नाशिक शहर - ४२२ ००२

No. NSK / CIT-I / 80-G (5) /

## आदेश

दिनांक: 29/01/2010

(आयकर अधिनियम 1961 की घारा 80 - जी) | 133 | 85

एतद् द्वारा प्रमाक्तर सामाजिक स्रास्या पा. मा. कुशपुत्रा अपार्टमेन्ट, के. में महागा हायस्त्र ह जवेहें, गाँजीक बोड इस संस्था को उनके दिनांक <u>07/07/2009</u> के आवदेन पत्र कें अनुसार आयंकर अधिनियम 1961 की धारा 80 - जी (5) के तहत पंजीकृत किया जाता है।

- २. तद्नुसार इस संस्था को दिया जाने वाला दान आयकर अधिनियम 1961 की घारा 80 जी के अंतर्गत, दानदाता के पक्ष में छूट मिलने का पात्र होगा।
- 3. यह आदेश दिनांक <u>01 64 2009</u> से लागू रहेगा।

ssioner or in the second of th

आयकर अयुक्त – I

पृष्ठांकन क्रमांक

आयकर आयुक्त कार्यालय - I , नाशिक

ना. / (पीआरओ)/ 80 - जी / 200 - 200 / 215210

दिनांक 29/01/2010

प्रतिलिपियाँ प्रेषित

- संयुक्त / अतिरिक्त आयकर आयुक्त रेंज 🤰 , गाउँगिक
- कर निर्धारण अधिकारी, वॉर्ड  **9(३) गाउँ 11**%
- जपरोक्त संस्था को, उसके मॅनेजिंग ट्रस्टी / मुख्य अधिकारी के मार्फत। कृपया पीछे दी हुई सूचनाओं का ध्यान रखें।

- 1) दानदाता को जारी की जानेवाली रसींदों में इस आदेश की संख्या और तारीख का उल्लेख होना चाहिए।
- 2) ऐसी रसीद बहियों का रख रखाव सही ढंग से किया जाना चाहिए तथा एक विशिष्ट रसीद बही रजिस्टर में उनके प्रयोग का हिसाब किताब रखा जाना चाहिए।
- 3) जहाँ जरुरी हो, वहाँ न्यास धारा ८० (जी) (५) (१) (सी) के अनुसार प्रमाण पत्र रसीद के साथ देना चाहिए।
- 4) आय और व्यय के हिसाब का वार्षिक विवरण कर निर्धारण अधिकारी के पास निश्चित रुप से प्रस्तुत किया जाए।
- 5) यदि आगे नविनता की आवश्यकता हो तो कर निर्धारण अधिकारी के माध्यम से निम्नलिखित कागजातों के साथ इस कार्यालय को फॉर्म नं. १० (जी) में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
  - 1) आय और व्यय के हिसाब का विवरण और बैलेन्स शीट (पिछले तीन सालों का)।
  - 2) जमा और ब्याज की अदायगी का विवरण, जहाँ ब्याज की रक्षम रु. २,५००/- से अधिक हो।
  - 3) रु. ५,०००/- से अधिक दान देने वाले दानदाताओं का पूर्ण विवरण, पूर्ण पते के साथ दें।
  - 4) संगठन के संविधान / ट्रस्ट डीड / ज्ञापन की एक प्रति, यदि उसमें कोई परिवर्तन हुए हों तो।
  - 5) सभी न्यासियों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र दें कि उन्होंने आयकर अधिनियम की धारा १३ (१) के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं किया है, तथा संस्था धारा ११ व १२ के प्रावधानों की पात्र है।

आयंकर अधिकारी (मु.) (स्था.) पी. आर. ओ. कृते आयंकर आयुक्त – I , नाशिक.